

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का संस्थान)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली-110012

संख्या: 53(2)/06-मा.स./एनएससी

दिनांक: 24.04.2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत कर्मचारियों / अधिकारियों के औद्योगिक मंहगाई भत्ते की दर में संशोधन।

उपरोक्त विषय पर दिनांक 25.01.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक 16.6.1998 को हुई 175वीं बैठक में निदेशक मण्डल के अनुमोदन से लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या डब्ल्यू-02/0002/2014-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- IV/17 दिनांक 05.04.2017 (पिछले पृष्ठ में) के अनुसार 01.04.2017 से परिवर्तनीय औद्योगिक मंहगाई भत्ते का निर्णय लिया गया है चूंकि एन.एस.सी. में 01.01.2007 से नये वेतनमान कार्यालय आदेश सं. 408 दिनांक 28.04.2009 से लागू हैं अतः औद्योगिक मंहगाई भत्ता वेतनमान में कार्यरत निगम के अधिकारियों / कर्मचारियों पर निम्नानुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता लागू होगा।

देय तिथि	अखिल भारतीय उपभोक्ता मुल्य सूचकांक का औसत	संसोधित मंहगाई भत्ते की दर (प्रतिशत) %
01.04.2017	274.33	117.1%

उपर संदर्भित दर लोक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन डब्ल्यू-02/0002/2014-लोउवि (मजूरी कक्ष) जी.एल.- IV/17 दिनांक 05.04.2017 के अनुसार औद्योगिक मंहगाई भत्ता की दरें उन कर्मचारियों / अधिकारियों जिनके वेतन दिनांक 01.01.2007 से संशोधित किए गए हैं, के मामले में लागू होगी। वर्तमान दरों का भुगतान अप्रैल 2017 माह के वेतन के साथ किया जाएगा।

बी.बी. साव
24.04.17
(बी.बी. साव)

वरिष्ठ महा प्रबन्धक (मानव संसाधन)

प्रतिलिपि:

1. सभी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रक्षेत्र प्रबन्धक, एनएससी लिमिटेड।
2. सभी फार्म प्रमुख, केन्द्रीय राज्य फार्म, एनएससी लिमिटेड।
3. मुख्यालय के सभी विभागाध्यक्ष
4. वरि. प्रबन्धक (रोकड)/(क.भ.नि.), एन.एस.सी. नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव
6. सूचना तकनीकी विभाग- उचित कार्यावाही हेतु।
7. गार्ड फाइल।

Public Enterprises Bhawan
Block 14, CGO Complex,
Lodi Road, New Delhi-110003
Dated: 5th April, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Board level and below Board level posts including non-unionised supervisors in Central Public Sector Enterprises (CPSEs)- Revision of scales of pay w.e.f. 01.01.2007 – Payment of IDA at revised rates-regarding.

In modification of this Department's O.M. of even No. dated 05.01.2017, the rate of DA payable to the executives and non-unionized supervisors of CPSEs (2007 pay revision) is as follows:

(a) Date from which payable: 01.04.2017

(b) Average AICPI (2001=100) for the quarter Dec.'2016 -Feb.' 2017

December, 2016	275
January, 2017	274
February, 2017	274
Average of the quarter	274.33

(c) Link Point: 126.33 (as on 01.01.2007)

(d) Increase over link point: 148 (274.33 minus 126.33)

(e) DA Rate w.e.f. 01.04.2017: 117.1% [(148 + 126.33) x 100]

- The above rate of DA i.e. 117.1% would be applicable in the case of IDA employees who have been allowed revised pay scales (2007) as per DPE O.M. dated 26.11.2008, 09.02.2009 & 02.04.2009.
- All administrative Ministries/ Departments of the Government of India are requested to bring the foregoing to the notice of the CPSEs under their administrative control for necessary action at their end.

Smsul Haque
(Samsul Haque)
Under Secretary

To,
All the administrative Ministries/Departments of the Government of India.

Copy to:

- Chief Executives of Central Public Sector Enterprises.
- Financial Advisers in the Administrative Ministries/ Departments.
- Department of Expenditure, E-II Branch, North Block, New Delhi.
- The Comptroller & Auditor General of India, 9, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi.
- NIC, DPE with the request to upload this OM on to the DPE website.

Smsul Haque
(Samsul Haque)
Under Secretary